

Speed post /तीव्र डाक

भारत सरकार  
खानमंत्रालय  
भारतीय खानप्यूसी  
दोत्रीय खाननिगमक कार्यालय  
माखूपुराओद्योगिक क्षेत्र अजमेर 305002  
ई-मेल ro.ajmer@ibm.gov.in



Mine Code: 63RAJ26001

Violation letter /खतरा पत्र

Government of India  
Ministry of Mines  
Indian Bureau of Mines  
Office of the Regional Controller of Mines  
Makhupura Industrial Area, Ajmer-305002  
Ph: 145 2225105 / 2225410, Fax: 2225210

संख्या RAJ/AJM-36/woll-cal-1/ Part-II

दिनांक 29/09/2021

प्रेषित ✓ श्री Nitam Pal Pahadiya, Nominated Owner,  
Kheratarla Wollastonite Mine,  
M/s Wolkem Industries Limited,  
E-102, Mewar Industrial Area,  
Madri, Udaipur (Raj.),  
PIN: 313003.  
(e-mail: [info@wolkem.com](mailto:info@wolkem.com), [upp@wolkem.com](mailto:upp@wolkem.com))

विषय Violation of provision of Mineral Conservation and development rule 2017 in respect of your Kheratarla Wollastonite Mine in Udaipur and Pali district of Rajasthan State..

सहोदय,

The following provision of Mineral Conservation and Development Rules, 2017 (hereinafter referred as MCDR, 2017) were found violated in your above said mine during inspection on 07/09/2021 by undersign in presence of your good-self and Sri Amresh Kumar, Mine Manager of your Mine:

Rule	Status and extent of violation
11(1)	Mining operations have not been carried out in accordance to Modified Mining Plan approved on 14/06/2016 to the extent given below for the year 2020-21: (1) Ore to Overburden ratio (stripping ratio) was achieved 1:4.58 (Tone/Tone) against the proposed ratio of 1:2.30 (Tone/Tone). (2) An area of 0.36 Ha. was proposed to afforest, however, only 0.27 hectare area has been afforested. Resulting shortfall in proposed area of afforestation.

2. इस सदरम में आपका ध्यान आकर्षित किया जाता है कि उपरोक्त नियमों का उल्लंघन खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली, 2017 के नियम 62 के अंतर्गत दंडनीय अपराध है एवं उपरोक्त नियमों का उल्लंघन की अनुपालना नहीं होने पर खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली, 2017 के अंतर्गत :

- (क) आपकी खदान की सारी सक्रियाएँ बंद की जा सकती है।
- (ख) आपके विरुद्ध अभियोग दायर किया जा सकता है।
- (ग) राज्य सरकार को खनन पट्टे की समिति की सिफारिश।

03. अतः आपको सलाह दी जाती है कि आप उपरोक्त उल्लंघनों का अतिशीघ्र सुधार करें एवं इसके सुधार की स्थिति की सूचना इस पत्र के जारी होने की दिनांक से 45 (पचास) दिनों के भीतर इस कार्यालय को सूचित करें।

भवदीय  
  
(दिनेश जैन)  
वरिष्ठ खान निरीक्षक  
भारतीय खान प्यूसी

प्रतिलिपि सूचनार्थ प्रेषित :-

- 1 खान नियंत्रक (उत्तर), भारतीय खान ब्यूरो, उदयपुर (ई मेल द्वारा)
- 2 निदेशक, खान एवं भूविज्ञान विभाग, राजस्थान सरकार, उदयपुर।
- 3 खनि अभियंता खान एवं भूविज्ञान विभाग, राजस्थान सरकार, Ajmer (Raj.).
- 4 संक्षिप्त पत्रावली।

/  
वरिष्ठ सुनन भूविज्ञानी  
भारतीय खान ब्यूरो